2014 का विधेयक संख्यांक 185

[दि कंपनीज (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

कंपनी अधिनियम, 2013
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

3404/15

धारा 2 का संशोधन ।

2013 का 18

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है),--

(i) खंड (68) में, "एक लाख रूपए की न्यूनतम समादत्त पूंजी या ऐसी उच्चतर समादत्त पूंजी है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी न्यूनतम समादत्त पूंजी है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (71) में, उपखंड (ख) में, "पांच लाख रूपए की न्यूनतम समादत्त पूंजी या ऐसी उच्चतर समादत्त पूंजी है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी न्यूनतम समादत्त पूंजी है," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 में 'और एक सामान्य मुद्रा होगी' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 11 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "उसके द्वारा लिए जाने के लिए करार पाए गए शेयरों के मूल्य का संदायन कर दिया गया हो और इस घोषणा को करने की तारीख को पब्लिक कंपनी की दशा में, कंपनी की समादत्त पूंजी पांच लाख रुपए से अन्यून और प्राइवेट कंपनी की दशा में, एक लाख रुपए से अन्यून न हो" शब्दों के स्थान पर, "इस घोषणा को करने की तारीख को उसके द्वारा लिए जाने के लिए करार पाए गए शेयरों के मूल्य का संदायन कर दिया गया हो" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

(ख) "उसका नाम उसकी मुद्रा पर, यदि कोई हो, पठनीय अक्षरों में उत्कीर्णित होगा" ।

धारा 22 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 22 में,--

(i) उपधारा (2) में,--

(क) "अपनी सामान्य मुद्रा के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "अपनी सामान्य मुद्रा के अधीन, यदि कोई हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु, यदि, किसी कंपनी के पास सामान्य मुद्रा नहीं है तो, इस उपधारा के अधीन प्राधिकरण, दो निदेशकों या जहां कंपनी ने कंपनी सचिव नियुक्त किया है तो किसी निदेशक तथा कंपनी सचिव द्वारा किया जाएगा ।";

(ii) उपधारा (3) में, "और उसका वही प्रभाव होगा, मानो वह उसकी सामान्य मुद्रा के अधीन किया गया हो" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 46 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) में, "कंपनी की सामान्य मुद्रा के अधीन जारी" शब्दों के स्थान पर, "कंपनी की सामान्य मुद्रा, यदि कोई हो, के अधीन जारी या दो निदेशकों द्वारा या जहां कंपनी ने कंपनी सचिव नियुक्त किया है वहां किसी निदेशक तथा कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 76क का अंत:स्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 76 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

धारा 73 या धारा 76 के उल्लंघन के लिए दंड।

"76क. जहां, कोई कंपनी धारा 73 या धारा 76 अथवा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित रीति या शर्तों के उल्लंघन में किसी निक्षेप को स्वीकृत या आमंत्रित या अनुज्ञात करती है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से स्वीकृत या आमंत्रित करवाती है या यदि कोई कंपनी धारा 73 या धारा 76 या उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट समय या धारा 73 के अधीन अधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाने वाले ऐसे और समय के भीतर निक्षेप या उसके भाग या उस पर देय ब्याज का पुनर्संदाय करने में असफल रहती है, तो,--

(क) कंपनी, जमा राशि या उसके भाग तथा उस पर देय ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगी जो एक करोड़ रूपए से कम का नहीं होगा किंतु जो दस करोड़ रूपए तक का हो सकेगा ; और

(ख) कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस लाख रूपंए से कम का नहीं होगा किंतु जो दो करोड़ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परंतु यदि यह साबित हो जाता है कि कंपनी का अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कंपनी या उसके शेयरधारकों या जमाकर्ताओं या लेनदारों या कर प्राधिकरणों को प्रवंचित करने के आशय से जानते हुए या जानबूझकर ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई का दायी होगा ।"।

धारा 117 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (3) में,--

(i) खंड (छ) में, अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसे संकल्पों की प्रतियों का निरीक्षण करने या उनको अभिप्राप्त करने के लिए धारा 399 के अधीन हकदार

नहीं होगा :"।

धारा 123 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) के तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि कोई कंपनी, जिसने पूर्व वर्ष या पूर्व वर्षों में प्रदान नहीं की गई अग्रनीत पूर्व हानियों और अवक्षयण का चालू वर्ष में कपनी के लाभ से मुजरा नहीं किया है, लाभांश घोषित नहीं करेगी ।"।

धारा 124 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 124 की उप धारा (6) में,--

(i) "असंदत्त या अदावाकृत लाभांश, उपधारा (5) के अधीन अंतरित किया गया है," शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "ऐसा लाभांश, जिसका लगातार सात वर्ष या उससे अधिक के लिए संदाय या दावा नहीं किया गया है" शब्द रखे जाएंगे तथा "भी" शब्द का लोप किया जाएगा ।

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी लाभांश का संदाय या दावा, लगातार सात वर्ष की उक्त अवधि के दौरान किसी वर्ष के लिए किया जाता है, तो ऐसे शेयर का अंतरण, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 134 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(गक) धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए ऐसे कपटों से भिन्न के संबंध में ब्यौरे, जो केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट जाने योग्य हों ;"।

धारा 143 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(12) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के पास लेखापरीक्षक के रूप में उसके दायित्वों के निर्वहन में यह विश्वास करने का कारण है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी में ऐसी राशि अथवा राशियों, जो विहित की जाएं, को अंतर्वलित करने वाला कपट का अपराध किया जा रहा है या हुआ है तो लेखापरीक्षक, मामले की रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को करेगा :

परंतु विनिर्दिष्ट से कम रकम के अंतर्वलित कपट की दशा में, लेखापरीक्षक, मामले की, धारा 177 के अधीन गठित लेखापरीक्षा समिति

को या अन्य मामलों में, बोर्ड को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रिपोर्ट करेगा :

परंतु यह और कि ऐसी कंपनियां, जिनके लेखापरीक्षकों ने इस उपधारा के अधीन कपटों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को की है, किंतु केन्द्रीय सरकार को नहीं की है, यथाविनिर्दिष्ट रीति से बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसे कपटों के बारे में ब्यौरों का प्रकटीकरण करेंगी ।"।

धारा 177 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (4) के खंड (iv) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु लेखापरीक्षा समिति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कंपनी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित संबंधित पक्ष संव्यवहार के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन कर सकेगी ;"।

धारा 185 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 185 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(ग) किसी नियंत्री कंपनी द्वारा उसके पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी को दिया गया कोई ऋण या किसी नियंत्री कंपनी द्वारा उसके पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी को दिए गए किसी ऋण के संबंध में दी गई कोई गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूति ; या

(घ) किसी नियंत्री कंपनी द्वारा उसकी समनुषंगी कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में दी गई कोई गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूति :

परंतु खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन दिए गए ऋणों का उपयोग, समनुषंगी कंपनी द्वारा उसके मुख्य व्यापार कार्यकलापों के लिए किया जाता है ।"।

धारा 188 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 188 की, उपधारा (1) में,--

(i) "विशेष संकल्प" शब्दों के दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "संकल्प" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि प्रथम परंतुक के अधीन संकल्प पारित करने की अपेक्षा, किसी ऐसी नियंत्री कंपनी और उसके पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी के बीच, जिसके लेखा, ऐसी नियंत्री कंपनी के साथ समेकित किए जाते है और साधारण बैठक में अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष रखे जाते हैं, होने वाले संव्यवहारों के लिए लागू नहीं होगी ।";

(iii) उपधारा (3) में "विशेष संकल्प" शब्दों के स्थान पर, "संकल्प" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 212 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (6) में, "धारा 7 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 34, धारा 36, धारा 38 की उपधारा (1), धारा 46 की उपधारा (5), धारा 56 की उपधारा (7), धारा 66 की उपधारा (10), धारा 140 की उपधारा (5), धारा 206 की उपधारा (4), धारा 213, धारा 229, धारा 251 की उपधारा (1), धारा 339 की उपधारा (3) और धारा 448 के अधीन आने वाले अपराधों, जिनको इस अधिनियम की धारा 447 में उपबंधित कपट के लिए दंड लागू होता है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "इस अधिनियम की धारा 447 के अधीन आने वाला अपराध" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 223 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 223 की उपधारा (4) के खंड (क) में, "कंपनी की मुद्रा" शब्दों के स्थान पर, "कंपनी की मुद्रा, यदि कोई हो" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 419 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 419 की उपधारा (4) में ", या परिसमापन" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 435 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 435 की उपधारा (1) में,--

(i) "इस अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के त्वरित विचारण" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु अन्य सभी अपराधों का विचारण, यथास्थिति, इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा ।"।

धारा 436 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 436 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध" शब्दों के स्थान पर, "धारा 435 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपराध' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), 29 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया था । अध्याय 15 से अध्याय 20 से संबंधित उपबंधों तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी)/राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी); विनिधानकर्ता संबंधी शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) ; राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकारी (एनएफआरए) और विशेष न्यायालय की स्थापना/और उनके द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने से संबंधित अन्य कतिपय उपबंधों को वर्जित करते हुए, अधिनियम के सभी उपबंध, 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त किए गए हैं ।

अधिनियम के उपबंधों के प्रारंभ के पश्चात्, सरकार द्वारा विभिन्न पणधारियों (औद्योगिक चैम्बरों, वृत्तिक संस्थानों, विधि विशेषज्ञों और मंत्रालयों/विभागों सहित) से प्राप्त अभ्यावेदनों में प्रारंभ किए गए उपबंधों में अधिकथित कुछ अपेक्षाओं के अनुपालन में व्यावहारिक कठिनाइयों को अभिव्यक्त किया गया है । यह नोट किया गया था कि उठाए गए मुद्दों तथा दिए गए सुझावों का केवल अधिनियम में संशोधन द्वारा समाधान किया जा सकता है और उन पर तत्काल संकल्प भी आवश्यक समझा गया है । औद्योगिक चैम्बर तथा अन्य अभिकरणों द्वारा इस निमित्त 'सुगमता से कारबार करने' को और सुकर बनाने तथा कतिपय कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से भी कुछ संशोधन अपेक्षित हैं ।

प्रस्तावित संशोधन, संबद्ध पक्षकार संव्यवहार, लेखापरीक्षकों द्वारा कपट की रिपोर्ट करने, बोर्ड द्वारा किए गए संकल्पों की सार्वजनिक जांच, लेखापरीक्षा समिति के उत्तरदायित्व, जमानत पर निर्बन्धन, सामान्य मुद्रा को वैकल्पिक करने, निम्नतम समादत्त शेयर पूंजी के लिए अपेक्षा, परिसमापन के मामलों की सुनवाई के लिए न्यायपीठों की संख्या, अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित हैं ।

अधिनियम में, कुछ उपबंध, जो पहले अनवधानता से पहले छूट गए थे, लाभांश की घोषणा से पहले पूर्व हानियों/अवक्षयण का मुजरा और नियंत्री कंपनियों द्वारा उनकी सहायक कंपनी को ऋण/गारंटी/प्रतिभूति देने पर छूट के लिए, संशोधनों को भी प्रस्तावित किया गया है ।

तदनुसार, एक संशोधन विधेयक द्वारा अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । विधेयक, अर्थात् कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 में, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधन अंतर्विष्ट हैं :--

(i) न्यूनतम समादत्त शेयर पूंजी के लिए अपेक्षा का लोप करने और उसके पारिणामिक परिवर्तन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (68), खंड (71) और धारा 11 का संशोधन करना ;

(ii) दस्तावेजों के निष्पादन को प्राधिकृत करने के लिए सामान्य मुद्रा को वैकल्पिक बनाने और पारिणामिक परिवर्तन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9, धारा 12, धारा 22, धारा 46 और धारा 223 का संशोधन करना ;

(iii) उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में स्वीकृत निक्षेपों के लिए दंड का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 76क का अंत:स्थापन करना ;

(iv) रजिस्ट्री में फाइल किए गए बोर्ड संकल्पों के लोक निरीक्षण को प्रतिषेध करने के लिए धारा 117 की उपधारा (3) के खंड (छ) का संशोधन करना ;

(v) वर्ष का लाभांश घोषित करने से पूर्व, पिछली हानियों और अवक्षयण को अपलिखित करने के उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (1) का संशोधन करना ;

(vi) ऐसे साधारण शेयरों के अंतरण की अपेक्षा का परिशोधन करने के लिए, जिनके लिए अदावाकृत/असंदत्त लाभांश, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि को अंतरित कर दिया गया है, चाहे पश्चात्वर्ती लाभांश (लाभांशों) का दावा कर दिया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (6) का संशोधन करना ;

(vii) ऐसी अवसीमाओं को, जिनके परे कपट को, केंद्रीय सरकार (अवसीमा से नीचे, उसको लेखापरीक्षक समिति को रिपोर्ट किया जाएगा) को रिपोर्ट किया जाएगा, विहित करने के लिए समर्थकारी उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) और उपधारा (12) का संशोधन करना । बाद की श्रेणी का प्रकटीकरण भी बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाना है ;

(viii) वार्षिक आधार पर संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदनों को देने के लिए संपरीक्षा समिति को सशक्त करने वाले उपबंध को उपबंधित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (4) के खंड (iv) का संशोधन करना ;

(ix) पूर्ण स्वामित्व वाले समनुषंगियों को दिए गए ऋणों (निदेशकों को ऋण) तथा समनुषंगियों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों पर गारंटियों/प्रत्याभूतियों पर धारा 185 के अधीन छूट हेतु उपबंध करने के

लिए उक्त अधिनियम की धारा 185 का संशोधन करना ;

(x) गैर-संबंधित शेयरधारकों द्वारा संबंधित पक्षकार संव्यवहारों के अनुमोदन के लिए 'विशेष संकल्प' के स्थान पर, ' संकल्प' का प्रतिस्थापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 188 की उपधारा (1) का संशोधन करना ;

(xi) गैर-संबंधित शेयरधारकों के अनुमोदन की अपेक्षा से नियंत्री कंपनियों तथा पूर्ण स्वामित्व वाले समनुषंगियों के बीच संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को छूट देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 188 की उपधारा (1) का संशोधन करना ;

(xii) धारा 447 के अधीन केवल कपट से संबंधित अपराध के लिए लागू होने वाले जमानत निर्बंधनों हेतु उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (6) का संशोधन करना ;

(xiii) 3-सदस्यीय पीठ के स्थान पर, 2-सदस्यीय पीठ द्वारा सुने जाने वाले परिसमापन मामलों का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 419 की उपधारा (4) का संशोधन करना ;

(xiv) केवल दो वर्ष या अधिक के कारावास वाले अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 435 और धारा 436 का संशोधन करना ।

विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
5 दिसंबर, 2014

अरुण जेटली

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 13, अन्य बातों के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिससे केंद्रीय सरकार को कपट की ऐसी रकम को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की जा सके, जिंसके परे मामला, लेखापरीक्षक द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्टनीय होगा । यह खंड केंद्रीय सरकार को वह रीति विनिर्दिष्ट करने में भी सशक्त करता है, जिसमें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, संपरीक्षा समिति या बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी । इसके अतिरिक्त, यह खंड, केंद्रीय सरकार को वह रीति विनिर्दिष्ट करने में भी सशक्त करता है, जिसमें ऐसे कपटों के बारे में ब्यौरों को बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाना है ।

विधेयक का खंड 14, अन्य बातों के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की उपधारा (4) के खंड (vi) में परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की जा सके, जिसके साथ संपरीक्षा समिति, संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन दे सकेगी ।

उपाबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं ।

* * * * * * *

(68) "प्राइवेट कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसकी एक लाख रुपए की न्यूनतम समादत्त पूंजी या ऐसी उच्चतर समादत्त पूंजी है, जो विहित की जाए और जो अपने अनुच्छेदों द्वारा—

(i) अपने शेयरों के अन्तरण के अधिकार को निर्बंधित करती है;

(ii) एक व्यक्ति कंपनी की दशा के सिवाय, अपने सदस्यों की संख्या को दो सौ तक सीमित करती है :

परन्तु जहां दो या अधिक व्यक्ति किसी कंपनी के एक या अधिक शेयरों को संयुक्त रूप से धारण करते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए उन्हें एकल सदस्य समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि—

(अ) ऐसे व्यक्ति, जो कंपनी के नियोजन में हैं; और

(आ) ऐसे व्यक्ति, जो पूर्व में कंपनी के नियोजन में रहते हुए, उस नियोजन के समय, कंपनी के सदस्य थे और नियोजन में न रहने के पश्चात् सदस्य बने हुए हैं,

संदस्यों की संख्या में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे; और

(iii) कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के लिए अभिदाय करने के लिए जनता को आमंत्रित करने से प्रतिषिद्ध करती है;

* * * * * * *

(71) "पब्लिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है,--

* * * * * * *

(ख) जिसकी पांच लाख रुपए की न्यूनतम समादत्त पूंजी या ऐसी उच्चतर समादत्त पूंजी है, जो विहित की जाए:

परन्तु ऐसी कंपनी, जो ऐसी किसी कंपनी की समनुषंगी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इस बात के बावजूद भी कि ऐसी समनुषंगी कंपनी अपने अनुच्छेदों में प्राइवेट कंपनी बनी रहती हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पब्लिक कंपनी समझी जाएगी ;

* * * * * * *

रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव ।

9. निगमन प्रमाणपत्र में वर्णित निगमन की तारीख से, ज्ञापन के ऐसे अभिदाता और सभी अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर, कंपनी के सदस्य बनें, ज्ञापन में अन्तर्विष्ट नाम का एक निगमित निकाय होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित कंपनी के सभी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए समर्थ होंगे और उनका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उन्हें स्थावर और जंगम, पूर्त और अपूर्त दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने, उक्त नाम से संविदा करने और वाद लाने और उसके विरुद्ध वाद लाए जाने की शक्ति होगी ।

* * * * * * *

कारबार, आदि का प्रारंभ ।

11. (1) कोई शेयर पूंजी वाली कंपनी, कोई कारबार तब तक प्रारंभ नहीं करेगी या उधार लेने की किसी शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं करेगी जब तक कि—

(क) किसी निदेशक द्वारा रजिस्ट्रार के पास इस बात की घोषणा ऐसे प्ररूप में फाइल और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापित नहीं कर दी जाती है कि ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता ने उसके द्वारा लिए जाने के लिए करार पाए गए शेयरों के मूल्य का संदायन कर दिया गया हो और इस घोषणा को करने की तारीख को पब्लिक कंपनी की दशा में, कंपनी की समादत्त पांच लाख रुपए से अन्यून और प्राइवेट कंपनी की दशा में, एक लाख रुपए से अन्यून न हो ; और

* * * * * * *

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ।

12. (1) * * * * * *

(3) प्रत्येक कंपनी,--

* * * * * * *

(ख) उसका नाम उसकी मुद्रा पर पठनीय अक्षरों में उत्कीर्णित होगा ;

* * * * * * *

विनिमय-पत्रों आदि का निष्पादन ।

22. (1) * * * * * *

(2) कोई कंपनी, अपनी सामान्य मुद्रा के अधीन लिखित में किसी व्यक्ति को साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट विषय की बाबत, भारत में या भारत के बाहर किसी स्थान में उसकी ओर से अन्य विलेखों के निष्पादन के लिए अपने अटर्नी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी ।

(3) ऐसे किसी अटर्नी द्वारा कंपनी की ओर से और उसकी मुद्रा के अधीन हस्ताक्षरित कोई विलेख कंपनी पर आबद्धकर होगा और उसका वही प्रभाव होगा, मानो वह उसकी सामान्य मुद्रा के अधीन किया गया हो ।

* * * * * * *

शेयर प्रमाणपत्र ।

46. (1) किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों को विनिर्दिष्ट करने वाला कंपनी की सामान्य मुद्रा के अधीन जारी प्रमाणपत्र, ऐसे शेयरों पर व्यक्ति के हक का प्रथमदृष्टया

साक्ष्य होगा ।

*   *   *   *   *   *   *

117. (1)   *   *   *   *   *   *   संकल्पों और करारों का फाइल किया जाना ।

(3) यह धारा निम्नलिखित को लागू होगी,--

*   *   *   *   *   *   *

(छ) धारा 179 की उपधारा (3) के अनुसरण में पारित संकल्प; और

*   *   *   *   *   *   *

अध्याय 8

लाभांश की घोषणा और संदाय

123. (1) किसी वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी लाभांश किसी कंपनी द्वारा घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा, सिवाय— लाभांश की घोषणा ।

(क) उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् उस वर्ष के लिए आए कंपनी के लाभों में से या उस उपधारा के उपबंधों के अनुसार अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए आए कंपनी के लाभों में से और शेष अवितरित या दोनों में से ; या

(ख) उस सरकार द्वारा दी गई किसी गारंटी के अनुसरण में कंपनी द्वारा लाभांश के संदाय के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन में से:

परन्तु कोई कंपनी, किसी वित्तीय वर्ष में किसी लाभांश की घोषणा से पूर्व, उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने लाभों की ऐसी प्रतिशतता, जो वह कंपनी की आरक्षितियों के लिए समुचित समझे, अंतरित कर सकेगी :

परंतु यह और कि जहां कंपनी किसी वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त लाभ होने या लाभ न होने के कारण कंपनी द्वारा पूर्ववर्षों में उपार्जित और आरक्षितियों में उसके द्वारा अंतरित संचित लाभों में से लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती है, वहां लाभांश की ऐसी घोषणा, ऐसे नियमों, जो इस निमित्त विहित किए जाएं, के अनुसार के सिवाय, नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि किसी कंपनी द्वारा खुली आरक्षितियों से भिन्न अपनी आरक्षितियों से कोई लाभांश घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा ।

*   *   *   *   *   *   *

124. (1)   *   *   *   *   *   *   असंदत्त लाभांश खाता ।

(6) सभी शेयर, जिनके संबंध में, असंदत्त या अदावाकृत लाभांश उपधारा (5) के अधीन अंतरित किया गया है, ऐसे ब्यौरे वाले, जो विहित किए जाएं, एक विवरण के साथ विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम में कंपनी द्वारा अंतरित भी किए

जाएंगे :

परंतु उपरोक्त अंतरित शेयरों का कोई दावाकर्ता, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे दस्तावेजों की, जो विहित किए जाएं, प्रस्तुत करने पर विनिधान शिक्षा और संरक्षण निधि से शेयरों के अंतरण का दावा करने का हकदार होगा ।

वित्तीय कथन, बोर्ड की रिपोर्ट, आदि ।

134. (1) * * * * * *

(3) साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखे गए विवरणों के साथ उसके निदेशक बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट उपाबद्ध की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे--

* * * * * * *

संपरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य तथा संपरीक्षा मानक ।

143. (1) * * * * * *

(12) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी के संपरीक्षक के पास, संपरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में, यह विश्वास करने का कारण हे कि कपट वाला कोई अपराध कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध किया गया है तो वह ऐसे समय में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मामले की रिपोर्ट तुरंत केन्द्रीय सरकार को करेगा ।

* * * * * * *

लेखापरीक्षा समिति ।

177. (1) * * * * * *

(4) प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा लिखित में विर्निदिष्ट निर्देश-निबंधनों के अनुसार कार्य करेगी, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित होगा:--

* * * * * * *

(iv) संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों का अनुमोदन या कोई पश्चातवर्ती उपांतरण ;

* * * * * * *

निदेशकों, आदि को उधार ।

185. (1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, कोई कंपनी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके किसी निदेशक को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें निदेशक हितबद्ध है, कोई उधार नहीं देगी, जिसके अंतर्गत ऋणबही द्वारा प्रस्तुत कोई उधार भी है, या उसके द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए किसी उधार के संबंध में कोई प्रत्याभूति नहीं देगी या कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराएगी :

* * * * * * *

संबद्ध पक्षकार संव्यवहार ।

188. (1) कोई कंपनी, बोर्ड के अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा प्रदान की गई कंपनी के निदेशक बोर्ड की सहमति के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, किसी संबद्ध पक्षकार के साथ निम्नलिखित के संबंध में कोई संविदा या ठहराव नहीं करेगी,--

(क) किसी माल या सामग्रियों के विक्रय, क्रय या प्रदाय;

(ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय करना या अन्यथा व्ययन या

क्रय करना;

(ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;

(घ) किन्हीं सेवाओं का उपभोग करना या प्रदान करना;

(ङ) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति के क्रय या विक्रय के लिए किन्हीं अभिकर्ताओं की नियुक्ति; और

(च) ऐसे संबद्ध पक्षकार की किसी कंपनी, उसकी समनुषंगी कंपनी या संबद्ध कंपनी में किसी पद पर या लाभ के किसी पद पर नियुक्ति ; और

(छ) कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों या उनके व्युत्पन्नों के अभिदान की हामीदारी :

परंतु ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी ऐसी रकम या ऐसे संव्यवहारों से कम नहीं है, जो ऐसी राशि से अधिक नहीं है, जो विहित की जाए, विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई संविदा या ठहराव नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि कंपनी का कोई सदस्य ऐसी संविदा या ठहराव के अनुमोदन के लिए ऐसे विशेष संकल्प पर, जो कंपनी द्वारा किया गया है, मतदान नहीं करेगा, यदि ऐसा सदस्य संबद्ध पक्षकार है :

परंतु यह भी कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे संव्यवहारों से भिन्न, जो संनिकट कीमत पर आधारित नहीं हैं, कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,--

(क) "पद या लाभ का पद" अभिव्यक्ति से निम्नलिखित कोई पद या स्थान अभिप्रेत है--

(i) जहां ऐसा पद या स्थान किसी निदेशक द्वारा धारित किया जाता है, यदि उसे धारित करने वाला निदेशक कंपनी से उस पारिश्रमिक से अधिक, जिसका वह निदेशक के रूप में हकदार है, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धि, किराया मुक्त आवास या उससे अन्यथा पारिश्रमिक के रूप में कोई चीज प्राप्त करता है;

(ii) जहां ऐसा पद या स्थान किसी निदेशक से भिन्न किसी व्यष्टि द्वारा या किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अन्य निगमित निकाय धारित किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला ऐसा व्यष्टि, फर्म, प्राइवेट कंपनी या निगमित निकाय, कंपनी से पारिश्रमिक वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धि कोई किराया मुक्त आवास या उससे अन्यथा कोई चीज प्राप्त करता है;

(ख) "संनिकट कीमत संव्यवहार" से दो संबद्ध पक्षकारों के बीच ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है, जो ऐसे संचालित किया जाता है, मानो वे असंबद्ध हैं,

जिससे उनमें हित के विरोध का प्रश्न न हो ।

* * * * * * *

(3) जहां किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सहमति या उपधारा (1) के अधीन साधारण अधिवेशन में किसी विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई संविदा या ठहराव किया जाता है, और यदि, यथास्थिति, बोर्ड या शेयर धारकों द्वारा उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको ऐसी संविदा या ठहराव किया गया था, किसी अधिवेशन में उसका अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, तो ऐसी संविदा या ठहराव बोर्ड के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि संविदा या ठहराव किसी निदेशक से संबद्ध पक्षकार के साथ है या उसे किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है तो संबंधित निदेशक कंपनी को उपगत हुई किसी हानि के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे ।

* * * * * * *

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय द्वारा कंपनी के कार्यकलापों का अन्वेषण ।

212. (1) * * * * * *

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 7 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 34, धारा 36, धारा 38 की उपधारा (1), धारा 46 की उपधारा (5), धारा 56 की उपधारा (7), धारा 66 की उपधारा (10), धारा 140 की उपधारा (5), धारा 206 की उपधारा (4) धारा 213, धारा 229, धारा 251 की उपधारा (1), धारा 339 की उपधारा (3) और धारा 448 के अधीन आने वाले अपराधों, जिनको इस अधिनियम की धारा 447 में उपबंधित कपट के लिए दंड लागू होता है, संज्ञेय होगा और इन धाराओं के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को जमानत या उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक-- 1974 का 2

(i) ऐसी किसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन का विरोध करने के लिए लोक अभियोजक को अवसर न दिया गया हो :

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं है और वे यह जमानत में रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है :

परंतु कोई व्यक्ति जो सोलह वर्ष की आयु से कम की कोई महिला है या रुग्ण या दुर्बल है, उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकेगा यदि विशेष न्यायालय ऐसा आदेश देता है :

परंतु यह और कि विशेष न्यायालय इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा लिखित में परिवाद किए जाने पर ही संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं :

(i) निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय; या

(ii) लिखित में साधारण या विशेश आदेश द्वारा उस सरकार द्वारा इस

निमित्त प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी ।

*   *   *   *   *   *   *

223. (1) *   *   *   *   *   * निरीक्षक की रिपोर्ट ।

(4) इस अध्याय के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक की रिपोर्ट--

(क) या तो कंपनी की मुद्रा जिसके मामलों का अन्वेषण किया गया है; या

*   *   *   *   *   *   *

419. (1) *   *   *   *   *   * अधिकरण की न्यायपीठें ।

(4) अध्यक्ष, कंपनियों के पुनरुज्जीवन, पुनर्संरचना, पुनरुद्धार या परिसमापन से संबंधित किसी मामले के निपटारे के लिए एक या अधिक विशेष पीठों का गठन करेग, जो तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें न्यायिक सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा ।

*   *   *   *   *   *   *

अध्याय 28

विशेष न्यायालय

435. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण के लिए, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालय स्थापित या अभिहित कर सकेगी, जितने आवश्यक हों । विशेष न्यायालयों की स्थापना ।

*   *   *   *   *   *   *

1974 का 2 **436.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी— विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध ।

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, उस क्षेत्र के भीतर स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा, जिसमें उस कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, जिसके संबंध में अपराध किया गया है या जहां एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं वहां उस क्षेत्र के ऐसे एक विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे जो इस निमित्त संबंधित उच्च न्यायालय विर्निदिष्ट करे :

*   *   *   *   *   *   *

GMGIPMRND—3404LS(CRC)—08-12-2014.

3404/LS